



दूरभाष / Tel : 26962819, 26567373,  
26562134, 26562122 (EPBAX)  
फैक्स / Fax : 26569908, 26515637,  
26863847, 26862418  
वेबसाइट/website: www.dst.gov.in

भारत सरकार  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  
टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग  
नई दिल्ली-110 016

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
TECHNOLOGY BHAVAN, NEW MEHRAULI ROAD  
NEW DELHI-110 016

No. ANRF/RR-2025

Dated: 05<sup>th</sup> August, 2025

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

This is to certify that the contents in the soft copy and hard copy of the extra-ordinary gazette notification, regarding Anusandhan National Research Foundation Group 'A' and Group 'B' Administrative Posts Recruitment Rules, 2025, uploaded in e-gazette portal are same.

**Vinod Kumar Sharma**  
**Under Secretary to the Government of India**  
Tel:- 011-26590515  
e-mail: vk.sharma82@nic.in

सा.का.नि.(ई).- निम्नलिखित भर्ती नियमों का प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (समूह 'क' एवं समूह 'ख' प्रशासनिक और गैर-तकनीकी विनियम, 2014 की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों के अधिक्रमण में बनाने का प्रस्ताव करती है, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 25 अप्रैल, 2014 को संख्या 003/2014/एफ. संख्या एसआर/एस9/जेड-08/2011, दिनांक 24 अप्रैल, 2014 के तहत प्रकाशित हुए थे, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले लागू या करने से छूट गई हैं, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है बशर्ते कि उक्त मसौदा भर्ती नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा भर्ती नियमों पर आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 ईमेल:anrf-director@anrf.gov.in को भेजे जा सकते हैं;

उक्त मसौदा भर्ती नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हों, पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

#### मसौदा नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन समूह 'क' एवं समूह 'ख' प्रशासनिक पद भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- a) “अधिनियम” से अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;
- b) “नियंत्रण प्राधिकारी” का तात्पर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है;
- c) “केन्द्रीय सरकार” का तात्पर्य भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से है;
- d) “अनुसूची” से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है;

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. आवेदन- ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची II के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन

मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची II के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

5. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची II के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट - अधिकारी योजना में दिए गए प्रारूप में वार्षिक आधार पर अनिवार्य रूप से वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भरनी होगी।

#### 7. परिवीक्षा. -

(1) सीधी भर्ती द्वारा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के लिए परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष होगी:

बशर्ते यह भी कि नियंत्रक प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा:

बशर्ते कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई भी निर्णय सामान्यतः पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और ऐसा करने के कारणों सहित संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तारण की अवधि पूरी होने पर, यदि अधिकारी को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो उसे उपलब्ध मूल रिक्ति के विरुद्ध स्थायी किया जाएगा।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तार के दौरान, जैसा भी मामला हो, फाउंडेशन की राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो फाउंडेशन उस अधिकारी को सेवामुक्त कर सकता है या उसे सेवा में नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर वापस कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

(4) परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, वैज्ञानिकों से फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षण और अनुदेश के ऐसे पाठ्यक्रमों से गुजरने तथा परीक्षाएं और परीक्षण (हिंदी में परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकती है, जैसा फाउंडेशन उचित समझे, जो परिवीक्षा के संतोषजनक समापन समाप्ति के लिए उपयुक्त है।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, अधिकारी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन होंगे।

8. स्थायीकरण - सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अधिकारी का स्थायीकरण, अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट विभागीय स्थायीकरण समिति की सिफारिशों पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

#### 9. अयोग्यता- कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, वह वैज्ञानिक पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से पृथक् कर सकती है।

10. चिकित्सा सुविधा: बोर्ड के अधिकारी अनुसूची I में निर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे।

11. **सेवानिवृत्ति लाभ-** नई पेंशन योजना/एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान, जो समतुल्य वेतन स्तर के केंद्रीय सरकारी अधिकारियों पर लागू हैं, फाउंडेशन के अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

12. **शिथिलन की शक्ति:** चाहे केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

13. इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले सेवारत फाउंडेशन कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

14. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

### अनुसूची ।

1. **बाह्य चिकित्सा व्यय.-** (I) अधिकारी स्वयं एवं घोषित परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के पात्र होंगे।

**स्पष्टीकरण:** इस खंड के प्रयोजन के लिए, "परिवार" शब्द का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 में उल्लिखित है।

2. वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की पहली जनवरी को एक माह के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

3. यह दावा डॉक्टर के पर्चे और डॉक्टर द्वारा उपचार एवं दवाओं की खरीद के लिए मूल नकद रसीद या बिलों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और वर्ष के दौरान किसी वृद्धि या पदोन्नति का प्रभाव 1 जनवरी को निर्धारित सीमा पर नहीं पड़ेगा।

4. वर्ष के दौरान अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने पर वार्षिक पात्रता आनुपातिक आधार पर सीमित होगी।

5. बाह्य उपचार बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले पैनल से सूचीबद्ध प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों से लिया जाएगा।

6. पुरानी बीमारियों के मामले में, दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति के संदर्भ में केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम (सीएसएमए) या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत आने वाले अस्पताल से प्राप्त दवा का पर्चा स्वीकार्य होगा।

चिकित्सा परिचारकों की दरों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन से मामले दर मामले आधार पर की जाएगी।

8. आपातकाल की स्थिति में कर्मचारी निकटतम अस्पताल में इलाज करा सकता है और व्यय का पुनर्भुगतान केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते कि अस्पताल प्राधिकरण द्वारा आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

## 2. आंतरिक उपचार:-

(1). आंतरिक उपचार के प्रयोजन के लिए, बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए पात्र होंगे और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल आवास, नर्सिंग होम सुविधा आदि सहित उपचार की लागत केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार होगी, जो समतुल्य वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।

(2). उपर्युक्त खंड (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अस्पताल वही होंगे जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, अधिकृत चिकित्सा सहायकों की सलाह पर अधिकृत अस्पतालों में उपचार लिया जा सकता है।

## अनुसूची II

पदनाम.	पदों की संख्या	वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक.	1* (2025) * कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन संभव के अध्यक्षीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रु. 1,23,100 - 2,15,900)।	चयन (पदोन्नति के मामले में)।	लागू नहीं.

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या वैधानिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी, -

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स में (78,800 -2,09,200 रुपये) या समकक्ष में लेवल-12 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iii) वेतन मैट्रिक्स (67,700-2,08,700 रुपये) या समकक्ष में लेवल-11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) वित्त, लेखा और प्रशासन में अनुभव रखते हों।

2. वेतन मैट्रिक्स (67,700-2,08,700 रुपये) में लेवल-11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा देने वाले विभागीय अवर सचिव पर भी प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उन्हें पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि

यदि पदोन्नति/स्थायीकरण पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति एवं स्थायीकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे,-	लागू नहीं
(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	- अध्यक्ष,
(2) संयुक्त सचिव, डीएसटी	- सदस्य,
(3) फाउंडेशन से वैज्ञानिक-जी	- सदस्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अवर सचिव	1* (2025) * कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, गैर-अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67,700 - 2,08,700)।	गैर-चयन.	लागू नहीं
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं.	अल्पकालिक अनुबंध सहित पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति।		

(11)
पदोन्नति:
(1) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उसी ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अनुभाग अधिकारी।
(2) वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400 रुपये) में लेवल-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा देने वाले विभागीय अनुभाग अधिकारी पर भी प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वह पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हो जाता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।
टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
प्रतिनियुक्ति:

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, वैधानिक निकाय या स्वायत्त संगठन के अधिकारी, -

(a)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;

(i) वेतन मैट्रिक्स में (56,100-1,77,500 रुपये) या समकक्ष में स्तर-10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;

(iii) वेतन मैट्रिक्स (53,100-1,67,800 रुपये) या समकक्ष में स्तर-9 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में सात साल की नियमित सेवा के साथ।

(iv) वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400 रुपये) या समकक्ष में स्तर-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में नौ साल की नियमित सेवा के साथ।

टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.-प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
पदोन्नति और स्थायीकरण के लिए विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं,-	लागू नहीं
(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी - अध्यक्ष,	
(2) फाउंडेशन से वैज्ञानिक-ई - सदस्य,	
(3) फाउंडेशन के निदेशक - सदस्य.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अनुभाग अधिकारी I	2* (2025) * कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'बी', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में (रु. 44,900 - 1,42,400) स्तर-7।	लागू नहीं.	अधिकतम पैंतीस वर्ष। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। टिप्पण- आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
-----	-----	-----	------



(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, और (ii) कार्मिक, सामान्य प्रशासन और लेखा में पांच वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं.	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।
---	------------	---------	---

(11)

प्रतिनियुक्ति:

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी, -

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स (35,400-1,12,400 रुपये) में स्तर-6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति एवं स्थायीकरण हेतु) जिसमें शामिल हैं-	लागू नहीं
(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	- अध्यक्ष,
(2) फाउंडेशन से वैज्ञानिक-ई	- सदस्य,
(3) फाउंडेशन के निदेशक	- सदस्य.

[एफ.सं.आरआर/एएनआएफ-2025]

सुनील कुमार, अपर सचिव

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i)]

G.S.R. (E).— The following draft of recruitment rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), and in supersession of the Science and Engineering Research Board (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Group 'A' and Group 'B' Posts Administrative and Non-Technical) Regulations, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25<sup>th</sup> April, 2014 vide No. 003/2014/F. No. SR/S9/Z-08/2011, dated the 24<sup>th</sup> April, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is hereby published for information of persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft recruitment rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft recruitment rules, if any, may be sent to the Director, Anusandhan National Research Foundation, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 email: anrf-director@anrf.gov.in;

The objections or suggestions, if any, received from any person in respect of the said draft recruitment rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be taken into consideration by the Central Government.

## DRAFT RULES

**1. Short-title and commencement.** - (1) These rules may be called the Anusandhan National Research Foundation Group 'A' and Group 'B' Administrative Posts Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) "Act" means the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023);
- (b) "controlling authority" means the Chief Executive Officer;
- (c) "Central Government" means the Government of India in the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology;
- (d) "Schedule" means the Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

**3. Application-** These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule II annexed to these rules.

**4. Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of posts, their classification and level in pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule II.

**5. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule II.

**6. Annual Performance Appraisal Report** – The Officers shall fill up the Annual Performance

Appraisal Report, in the format provided for in the Scheme, mandatorily on an annual basis.

**7. Probation. –**

(1) The period of probation for officers appointed to the grade of Section Officer by direct recruitment shall be two years:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be made ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, Officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed against the available substantive vacancy.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Foundation is of the opinion that an Officer is not fit for permanent appointment, the Foundation may discharge or revert the Officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, Officer may be required by Foundation to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi language) as Foundation may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the officer shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

**8. Confirmation. –** Confirmation of officer appointed through direct recruitment shall be done by the controlling authority on the recommendations of Departmental Confirmation Committee as specified in the Schedule II.

**9. Disqualification. -** No person, -

- a. who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the scientific posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**10. Medical facility:** The officers of the Board shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule I.

**11. Retirement Benefits.-** The provisions of New Pension Scheme/ Unified Pension Scheme as applicable to the Central Government Officers of corresponding pay levels, shall be applicable to the officers of the Foundation.

**12. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**13. The Terms & Conditions of service of employees of the Foundation in service immediately before the commencement of these rules shall be in accordance with provisions of these rules.**

**14.Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Schedules Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

### **Schedule I**

**1. Outdoor Medical expenses.**— (1) The officers shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

**Explanation:** For the purpose of this clause, the expression "family" shall have the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st January of the year (Basic Pay + Dearness Allowance) whichever is less.

(3) The claim shall be supported by doctors prescription and the original cash memos or bills for treatment by the doctor and purchase of medicines and release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on the 1st January.

(4) For officers' joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be taken from the Authorized Medical Attendants empaneled from the panel to be maintained by the Board.

(6) In case of chronic ailments prescription from Central Service Medical Attendance Rules (CSMA) or Central Government Health Scheme (CGHS) covered hospital shall be admissible with reference to reimbursement of cost of medicines.

(7) For the purpose of cost intensive treatments, the reimbursement shall be made as per the Central Government Health Scheme or Central Services Medical Attendants rates with the approval of the Board on a case to case basis.

(8) In case of emergency the employee may take treatment at the nearest hospital and expenditure shall be reimbursed as per the rates prescribed for Central Government Health Scheme beneficiaries subject to production of emergency certificate from the hospital authorities.

#### **2. Indoor treatment:—**

(1). For the purpose of indoor treatment the, officers of the Board shall be entitled for medical treatment at hospitals authorized by the Board in this behalf and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc. shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay

(2). The authorized hospitals for the purpose of Clause (1) above shall be the same available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

Treatment at authorized hospitals may be taken on the advice of the Authorized Medical attendants except in emergency

## Schedule II

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-13 in the pay matrix (Rs. 1,23,100 - 2,15,900).	Selection. (in the case of promotion).	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion/deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which the promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

1. Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or Public Sector Undertaking or recognized Research Institution or University or Semi Government or Statutory or Autonomous organization, -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-12 in the pay matrix (Rs. 78,800 -2,09,200) or equivalent; or
- (iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-11 in the pay matrix (Rs. 67,700 – 2,08,700) or equivalent; and
- (b) possessing experience in finance, accounts and administration.

2. The departmental Under Secretary with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-11 in the pay matrix (Rs. 67,700 – 2,08,700) will also be considered along with deputationists and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1.- The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee( For promotion and confirmation) consisting of,- (1) Chief Executive Officer – Chairperson, (2) Joint Secretary from the DST – Member, (3) Scientist-G from the Foundation - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Under Secretary	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67,700 - 2,08,700).	Non-selection.	Not applicable.
(7)		(8)		(9)	(10)
Not applicable.		Not applicable.		Not applicable.	Promotion/deputation including short-term contract.

(11)
<b>Promotion:</b>  (1) Section Officer with nine years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level -7 in the pay matrix (Rs.44,900 – 1,42,400). (2) The departmental Section Officer with nine years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-7 in the pay matrix (Rs.44,900 – 1,42,400) will also be considered along with deputationists and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.  <b>Note.-</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  <b>Deputation:</b> Officers of the Central Government, State Government, Union territory administration, Public

Sector Undertaking, recognized Research Institution, University, Statutory Body or Autonomous organization, -

- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the basis in the parent cadre or department;  
(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-10 in the pay matrix (Rs. 56,100 – 1,77,500) or equivalent;  
(iii) with seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-9 in the pay matrix (Rs. 53,100 –1,67,800) or equivalent.  
(iv) with nine years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level- 7 in the pay matrix (Rs. 44,900 –1,42,400) or equivalent.

Note 1.- The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2.-The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation consisting of,- (1) Chief Executive Officer – Chairperson, (2) Scientist- E from the Foundation – Member, (3) Director from the Foundation - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Section Officer.	2* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900 - 1,42,400).	Not applicable.	Not exceeding thirty-five years. Relaxable up to five years to Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India.

(7)

(8)

(9)

(10)

(i) Bachelor's Degree from a recognized University, and (ii) five years' experience in personnel, General Administration and Accounts.	Not applicable.	Two years.	By deputation/absorption failing which by direct recruitment.
---	-----------------	------------	---

(11)

Deputation:

Officer of the Central Government, State Government, Union territory administration, Public Sector Undertaking, recognized Research Institution, University or Semi Government or Statutory or Autonomous organization, -

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or  
(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400).

Note 1.- The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (For promotion and confirmation) consisting of,- (1) Chief Executive Officer (2) Scientist- E from the Foundation (3) Director from the Foundation	Not applicable.
- Chairperson, - Member, - Member.	

[F. No. RR/ANRT-2025]

Sunil Kumar, Additional Secretary



